

विद्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर

संख्यांक: मान्यता/264 /2016

पत्रांक: /शिविर/ 144

/2016-17

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2016

प्रबंधक,

माँ जानकी देवी जिउता देवी पब्लिक स्कूल संतपट्टी

विकास खण्ड-सेवरही,

जनपद-कुशीनगर।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक: 30.8.16 के आवेदन और इस सन्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती /पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, माँ जानकी देवी जिउता देवी पब्लिक स्कूल संतपट्टी, विकास - खण्ड- सेवरही, जनपद-कुशीनगर को दिनांक-01 जुलाई, 2016 से दिनांक-30 जून, 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम से 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उरुके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उरुकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- ❖ प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा:
- ❖ किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा:
- ❖ प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उर्त्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:
- ❖ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा:
- ❖ अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुक्लता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना:
- ❖ अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इन अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे:
- ❖ अध्यापक अधिनियम की धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है: और
- ❖ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे:


Principal

Maa Janki Devi

Jeeuta Devi Public School

Sumahi Sant Patti, Seorahi
Kushinagar-274406 (U.P.)


Manager
Janki Devi

Jeeuta Devi Public School
Sumahi Sant Patti, Seorahi
Kushinagar-274406 (U.P.)

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- ❖ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 28406 वर्ग फुट
 - ❖ कुल निर्मित क्षेत्रफल-
 - ❖ क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल-
 - ❖ कक्षाओं की संख्या- 13
 - ❖ प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह-भांडारागार के लिए कक्ष- 02
 - ❖ बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-06+06
 - ❖ पेयजल सुविधा-ट्रेण्ड पम्प
 - ❖ मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई-
 - ❖ वाधारहित पहुंच-
 - ❖ अध्यापन बैठक सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।
- 14-आपके विद्यालय को आर्गेंटिड मान्यता कोड संख्या:- 264 /2016 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17-संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,



(पन्ना राम गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कुशीनगर।



Principal

Maa Janki Devi
Jeeuta Devi Public School
Sumahi Sant Patti, Seorahi
Kushinagar-274406 (U.P.)



Manager

Maa Janki Devi
Jeeuta Devi Public School
Sumahi Sant Patti, Seorahi
Kushinagar-274406 (U.P.)